मध्यप्रदेश विधान सभा

जुलाई-अगस्त, 2005 सत्र

दैनिक कार्य सूची

बुधवार, दिनांक 27 जुलाई, 2005 (श्रावण 5, 1927)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री बाबूलाल गौर, मुख्यमंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 323 (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग का वर्ष 2003-2004 का सैंतालीसवां वार्षिक प्रतिवेदन (दिनांक 1-4-2003 से 31-3-2004) तथा वर्ष 2003-2004 का स्पष्टीकरणात्मक ज्ञापन पटल पर रखेंगे.

(2) श्री कैलाश चावला, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड का 35वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा (वर्ष 2000-2001 वर्ष समाप्ति दिनांक 31 मार्च, 2001) के लिये पटल पर रखेंगे.

(3) चौधरी चन्द्रभान सिंह, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री, वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन एक्ट, 1962 (क्रमांक 58 सन् 1962 की धारा 31 की उपधारा (11) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश वेयर हाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन का प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन एवं हिसाब-पत्रक वित्तीय वर्ष 2003-2004 पटल पर रखेंगे.

3. सभा द्वारा यथापारित मध्यप्रदेश निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय विधेयक, 2003 के संबंध में महामहिम राज्यपाल की ओर से प्राप्त संदेश का पढ़ा जाना तदुपरांत पुनर्विचार के लिए लौटाए गये विधेयक को पटल पर रखा जाना.

4. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, भिण्ड जिले के ग्राम देवरी में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति की हत्या होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री उम्मेद सिंह बना, सदस्य, मुरैना स्थित परिवहन जांच चौकी में वाहनों से अवैध वसूली किये जाने की ओर राज्यमंत्री परिवहन का ध्यान आकर्षित करेंगे.

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा,सदस्य, रीवा जिले के -
- (क) गोरमा उद्वहन सिंचाई योजना का कार्य पूर्ण कराये जाने,
- (ख) बेहला जलाशय का कार्य पूर्ण कराये जाने,
- (ग) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मऊगंज का भवन बनाये जाने,
- (घ) मऊगंज नगर में आई.टी.आई. कक्षायें प्रारंभ कराये जाने,
- (ङ) हनुमना-बहुती मार्ग पर आवागमन प्रारंभ कराये जाने ;एवं
- (च) नैया नाला जलाशय का कार्य पूर्ण कराये जाने,

(2) श्री गजराज सिंह सिकरवार,सदस्य, मुरैना जिले के-
- (क) ग्राम बलवन्त के पुरा में प्राथमिक शाला खोले जाने,
- (ख) ग्राम मानपुर से चचिहा तक सड़क बनाये जाने,
- (ग) ग्राम विसगपुरा में हैण्डपम्प लगाये जाने ; एवं
- (घ) ग्राम महिचन्दपुर में विद्युत खम्बों पर तार लगाये जाने,तथा

(3) श्रीमंत यशोधराराजे सिंधिया, सदस्य, शिवपुरी जिले के ग्राम लालगढ़ से करमाज खुर्द तक सड़क बनाये जाने ,
के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगी.

6. वर्ष 1990-91 की अधिकाई अनुदानों की मांगों पर मतदान

श्री राघवजी, वित्त मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे -

"दिनाक 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 3, 8, 14, 20, 21, 24, 27, 29, 30, 33, 42, 44, 50,52, 58, 67, 70 तथा 71 के लिये स्वीकृत राशि के अतिरिक्त किये गये समस्त अधिकाई व्यय की पूर्ति के निमित्त राज्यपाल महोदय को एक सौ पांच करोड़, छत्तीस लाख, इक्कीस हजार, तीन सौ एक रूपये की राशि दिया जाना प्राधिकृत किया जाय.".

7. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री राघवजी, वित्त मंत्री मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक -3) विधेयक, 2005 (क्रमांक 12 सन् 2005) का पुरःस्थापन करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

8. वर्ष 1991-92 की अधिकाई अनुदानों की मांगों पर मतदान

श्री राघवजी, वित्त मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे -

"दिनाक 31 मार्च, 1992 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 3, 6, 8, 10, 20, 24, 27, 29, 33, 42, 44, 52, 54, 60 तथा 67 के लिये स्वीकृत राशि के अतिरिक्त किये गये समस्त अधिकाई व्यय की पूर्ति के निमित्त राज्यपाल महोदय को दो सौ अट्ठावन करोड़, चौंतीस लाख, सतानवे हजार, पैसठ रूपये की राशि दिया जाना प्राधिकृत किया जाय.".

9. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री राघवजी, वित्त मंत्री मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2005 (क्रमांक 13 सन् 2005) का पुरःस्थापन करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

10. वर्ष 1992-93 की अधिकाई अनुदानों की मांगों पर मतदान

श्री राघवजी, वित्त मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे -

"दिनाक 31 मार्च, 1993 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 3, 4, 15, 16, 20, 22, 24, 27, 29, 30, 34, 42, 44, 45, 47, 53, 54, 58 तथा 67 के लिये स्वीकृत राशि के अतिरिक्त किये गये समस्त अधिकाई व्यय की पूर्ति के निमित्त राज्यपाल महोदय को एक सौ नवासी करोड़, पन्द्रह लाख, इकसठ हजार, पांच सौ छत्तीस रूपये की राशि दिया जाना प्राधिकृत किया जाय.".

11. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री राघवजी, वित्त मंत्री मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-5) विधेयक, 2005 (क्रमांक 14 सन् 2005) का पुरःस्थापन करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

निर्धारित समय

30 मि. (2) श्री हिम्मत कोठारी, वन मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश लोक वानिकी (संशोधन) विधेयक, 2005 (क्रमांक 8 सन् 2005) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

30 मि. (3) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, राज्यमंत्री विधि और विधायी कार्य, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश ग्राम न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2005 (क्रमांक 9 सन् 2005) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

12. नियम 139 के अधीन अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा (क्रमशः)

प्रदेश के विभिन्न जिलों में अति वृष्टि एवं बाढ़ से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा का पुनर्ग्रहण.

डॉ. ए.के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक 26 जुलाई, 2005